

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग Department of Water Resources, River Development and Ganga **R**ejuvenation

> Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, Dated 5th April, 2021

To:

- 1. The Secretaries of all Ministries/ Department of Govt. of India as per standard list.
- 2. Chief Secretaries All State Governments/UT Administration as per standard list.
- 3. All organisations under M/o WR, RD & GR.

Subject: Advertisement of vacancy circular for filling up the one post of Financial Adviser in Brahmaputra Board, Guwahati on deputation (including short term contract) basis.

Sir.

I am directed to say that applications are invited for filling up of the one (01) post of Financial Adviser in the Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Financial Adviser shall be under the administrative control of the Board. He shall advise the Board on all matters relating to revenue and expenditure. He shall have the right to refer to the Board any matter which in his opinion ought to be brought to its notice. He shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Board and conduct internal audit of these accounts. He shall also exercise such powers and duties as prescribed in the rule 16 of the subordinate legislation under the Brahmaputra Board Act, 1980.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short-term contract):

Officers in the Indian Audit and Accounts Service or Indian Defence Accounts Service or Indian Railway Accounts Service or Indian Post and Telegraphs (Finance and Accounts Service) or Indian Civil Accounts Service:-

- (i) holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) holding the post in level-13A (Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13 (Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or equivalent with two or three years regular service respectively in the grade; or
- (iii) Qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or M.B.A. with specialisation in

Finance with experience of at least fifteen years in handling Corporate accounting and Corporate finance matters in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organisations under Central Government or State Governments.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.

- 5. <u>AGE</u>: The maximum age-limit for appointment by deputation or short term contract shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.
- 6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.
- 7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
- 8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
- 9. Applications with full particulars of the applicant in <u>Annexure-I to V</u> should reach to Shri A.K. Das, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, 6th Floor, Room No.625, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg. New Delhi 110 001 <u>within 60 days</u> from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.
- 10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma as given in **Annexure-2** (ii) Photocopies of ACRs/ APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance as given in **Annexure-3**(iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years as given in **Annexure-4** and (v) Integrity Certificate as given in **Annexure-5** and (vi) Cadre Clearance.

11. The details of advertisement and the application forms can also be downloaded from the Ministry's website – http://mowr.gov.in.

A.K. Kaushik)

Under Secretary to the Government of India

Tel: 23714350

Email: use3-mowr@gov.in

Annexure-1

1. Name of Post

: Financial Adviser, Brahmaputra Board

2. Number of Posts

: 01 (one)

3. Classification

: Group 'A', Non-Ministerial

4. Pay Band

: Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-)

5. Grade Pay

6. Period of deputation

: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.

7. Duties and responsibilities of the post

: The Financial Adviser shall be under the administrative control of the Board. He shall advise the Board on all matters relating to revenue and expenditure. He shall have the right to refer to the Board any matter which in his opinion ought to be brought to its notice. He shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Board and conduct internal audit of these accounts. He shall also exercise such powers and duties as prescribed in the rule 16 of the subordinate legislation under the Brahmaputra Board Act, 1980.

8. Pay & Allowances

: The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

 Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post : Deputation (including short-term contract) :

Officers in the Indian Audit and Accounts Service or Indian Defence Accounts Service or Indian Railway Accounts Service or Indian Post and Telegraphs (Finance and Accounts Service) or Indian Civil Accounts Service:-

- (i) holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) holding the post in level-13A (Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13 (Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or equivalent with two or three years regular service respectively in the grade; or
- (iii) Qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or M.B.A. with specialisation in Finance with experience of at least fifteen years in handling Corporate accounting and Corporate finance matters in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organisations under Central Government or State Governments.

Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

10. Age

The maximum age-limit for appointment by deputation or short term contract shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

Annexure-2

Bio Data Proforma

- 1. Name and address (in Block Letters):
- 2. Telephone Number:
- 3. Date of Birth (in Christian era):
- 4. Date of retirement under Central Government Rules:
- 5. Educational Qualifications:
- 6. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

Qualifications / Experience Required	Qualifications / Experience possessed by the Officer
Essential	
Desirable	

- 7. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
- 8. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office/ Institution/ organisation	Post held and service / cadre to which it belongs	From	Pay in the pay band and classification of post	Nature of duties

- 9. Nature of present employment, i.e.,
- i. Ad-hoc basis
- ii. Regular / on temporary basis
- 10. Pay in the Pay Band
- 11. Grade Pay drawn
- 12.In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state:
- i. The date of initial appointment
- ii. Period of appointment on deputation/contract
- iii. Name of the parent office/organisation to which you belong
- 13. Additional details about present employment. Please state whether working under:
- i. Central Government
- ii. State Government
- iii. Autonomous organisation
- iv. Government Undertaking
- v. Universities
- 14. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale
- 15. Total emoluments per month now drawn:
- 16.Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.

- 17. Whether belonging to SC/ST
- 18.Remarks

Signature of the candidate

Date:

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

Annexure-3

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

			edings or criminal pontemplated	roceedings is either against
Dr./Shri/Smt./Ms				, who
nas applied for t	ne post of		·	in the on deputation
basis.	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************	on apparation
		Na	(A ame & Office Seal : Date:	Authorised signatory)
				Annexure-4
	NO PE	ENALTY CER	<u> </u>	
Smt./Ms			sed during the last t	
basis.		<u> </u>		 .
		N	ame & Office Seal :	Authorised signatory) Pate:
				<u>Annexure-5</u>
	INT	EGRITY CERT	<u>IFICATE</u>	
	scrutinizing		Confidential	Report of
				in the
basis, it is certified	that his/her integr	ity is beyond d	oubt.	on deputation
	(To be signe		of the rank of Deput Name & Office Seal : Date	y Secretary or above) e:

सं. ए-60015/4/2019**-ई**.-III

भारत सर्कार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली, दिनांक 5th April, 2021

सेवा में,

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, मानक सूची के अनुसार।
- 2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासन के मुख्य सचिव, मानक सूची के अनुसार।
- 3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत सभी संगठन।

विषयः ब्रह्मपुत्र बोर्ड में वित्तीय सलाहकार के एक पद को, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर भरने के लिए रिक्ति परिपत्र का विज्ञापन।

महोदय/महोदया,

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संसद के अधिनियम (1980 का 46) के अंतर्गत सांविधिक निकाय ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पाविध संविदा सिहत) आधार पर लेवल-14 (1,44,200- 2,18,200/-) रूपए में वित्त सलाहकार का (01) एक पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

वित्त सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह देगा। उसके पास किसी भी मामले को जिसे वह बोर्ड के ध्यान में लाना अपेक्षित समझे, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। बोर्ड के लेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी और वह इन लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के तहत अधीनस्थ विधान के नियम 1.6 में निर्धारित ऐसी शक्तियों और कार्यों को भी करेगा।

3. पात्रता मानदंड

प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि संविदा सहित):

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अथवा भारतीय रक्षा लेखा सेवा अथवा भारतीय रेलवे लेखा सेवा अथवा भारतीय डाक और तार (वित्त और लेखा सेवा) अथवा भारतीय सिविल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी-

- (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 ए (1,31,100- 2,16,600/- रूपए) अथवा लेवल-13 (1,18,500- 2,14,100/- रूपए) या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर दो या तीन वर्ष की सेवा की हो;
- (iii) अहर्क चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा कोस्ट एकाउन्टेंट अथवा एमबीए के साथ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सांविधिक अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के तहत स्वायत्त संगठन में कॉर्पोरेट लेखों और कॉर्पोरेट वित्त मामलों के कार्य में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ वित्त में विशेषज्ञता हो।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सिहत) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सिहत) सिहत 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 5. आयु- प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप् त होने की अंतिम तारीख होगी।
- 7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमित नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त कर दे।
- 8. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स् थापना (वेतन-ii) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत करवाने का विकल्प होगा।
- 9. अनुलग्नक-। से v में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन के रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से, 60 दिन के अंदर श्री ए. के. दास, अवर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, छठा तल, कमरा संख्या 625, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे से रहित आवेदन रद्द किए जा

सकते हैं।

10. सिर्फ ऐसे अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रपन्न में जीवन वृत (चार प्रति में) (ii) अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) अनुलग्नक-3 में दिए दिए अनुसार सतर्कता स्वीकृति (iv) अनुलग्नक-4 के प्रपन्न के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी या छोटी शास्ति, यदि कोई हो, का ब्यौरा और (v) अनुलग्नक-5 के अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो।

11. विज्ञापन का ब्यौरा और आवेदन का प्रारूप मंत्रालय की वेब साइट- http://mowr.gov.in. से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

भवदीय,

(ए. के. कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23714350

अनुलग्नक-।

_		9130171111
1	पद का नाम	वित्त सलाहकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड
2	पदों की संख्या	01 (एक)
3	वर्गीकरण	समूह 'क' नॉन-मिनिस्टीरियल
4	वेतन बैंड/ ग्रेड	लेवल-14 (1,44,200-2,18,100/-)
	वेतन	
5	थ्रेड वेतन	
6	प्रतिनियुक्ति की	प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार के समान अथवा किसी
) अवधि	अन्य संगठन या विभाग ने इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर
		प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7	पद के कर्तव्य एवं	वित्त सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह राजस्व और व्यय से संबंधित
	दायित्व	सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह देगा। उसके पास किसी भी मामले को जिसे वह बोर्ड के
		ध्यान में लाना अपेक्षित समझे, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। बोर्ड के
		लेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी और वह इन लेखों की आंतरिक लेखा
		परीक्षा करेगा। वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के तहत अधीनस्थ विधान के नियम 16
		में निर्धारित ऐसी शक्तियों और कार्यों को भी करेगा।
8	वेतन एवं भत्ते	चयनित अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय
		ज्ञापन संख्या ६/८/२००९-स्थापना (वेतन-।।) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों
		के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा
		प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा।
9	पद के लि	एप्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित):
	अपेक्षित अर्हताएं	, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अथवा भारतीय रक्षा लेखा सेवा अथवा भारतीय
	अनुभव औ	रिलवे लेखा सेवा अथवा भारतीय डाक और तार (वित्त और लेखा सेवा) अथवा भारतीय
	पात्रता	सिविल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी-
		(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा
		(ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 क (1,31,100 - 2,16,600/- रूपये) अथवा लेवल-13
	•	(1,18,500 - 2,14,100/- रूपये) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर
		क्रमशः दो या तीन वर्ष की नियमित सेवा; अथवा
		(iii) अहर्क चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा कोस्ट एकाउन्टेंट अथवा एमबीए के साथ केंद्र
		सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सांविधिक अथवा

		केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के तहत स्वायत्त संगठन में कॉर्पोरेट लेखों और कॉर्पोरेट
		वित्त मामलों के कार्य में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ वित्त में विशेषज्ञता हो।
l		किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से
		इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी
		होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर
		कार्यमुक्त कर दे।
10	आयु	प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन
		प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुलग्नक-2

जीवन-वृत्त प्रपत्र

- नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) : टेलीफोन नंबर:
- 2. जन्म तिथि (ईस्वी सन के अनुसार) :
- 3. केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख:
- 4. शैक्षिक योग्यताः
 - 5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकार का उल्लेख करें)

अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
अनिवार्य	
वांछनीय	

- 6. कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या आप पद की पात्रता पूरी करते हैं
- 7. तारीखवार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें):

कार्यालय/	संस्थान/	धारित पद और सेवा / संवर्ग जिससे	से	तक	वेतन बैंड में वेतन और पद	दायित्वों का स्
संगठन		संबंधित हैं			की श्रेणी	वरूप

- 8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात
 - (i) तदर्थ आधार पर
 - (ii) नियमित/अस्थायी आधार पर
 - (iii) वेतन बैंड में वेतन
 - (iv) आहरित ग्रेड वेतन
- 9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में, कृपया उल्लेख करें
 - (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
 - (ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि

- (ग) आप्रके मूल कार्यालय/संगठन का नाम, जिससे आप संबंध रखते हैं।
- 10. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण :

कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-

- (क) केन्द्र सरकार
- (ख) राज्य सरकार
- (ग) स्वायत्त संगठन
- (घ) सरकारी उपक्रम
- (ङ) विश्वविद्यालय
- 11. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें
- 12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां
 - 13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जो इस पद के समर्थन में आप उल्लेख करना चाहते हों। यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।
- 14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं
- 15. अभ्युक्तियाँ

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ली गई है और सही पाई गई है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर और मोहर

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3
सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्रीजिन्होंने
के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध न तो
कोई सतर्कता निकासी और न ही कोई अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्यवाही लंबित है और न ही
शुरू किए जाने का विचार है।
(प्राधिकृत अधिकारी)
नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :
अनुलग्नक-4
शास्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्रीजिन्होंने
के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले 10
वर्षों में कोई छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगायी गयी है।
(प्राधिकृत अधिकारी)
नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :
अनुलग्नक-5
<u>सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र</u>
डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्रीजेन्होंनेमें प्रतिनियुक्ति के आधार
पर के पद के लिए आवेदन किया है, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह प्रमाणित
किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है।
(उप सचिव अथवा उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)
नाम और कार्यालय की मोहर

दिनांक :